वरीय प्रभारी पदाधिकारी

पत्रांक:–14 / डी० एल० ए० (नीति) – 136 / 2013–2025 / रा०

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

डॉ० सी० अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना, दिनांक :– 20-08-13

विषय :– भू–अर्जन की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों का अनुपालन हेतु सभी समाहर्त्ता तथा प्रमंडलीय आयुक्त को दिशा–निदेश।

महाशय,

आप अवगत हैं कि विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु राज्य में वृहत पैमाने पर भूमि अर्जन / अधिग्रहण की कार्रवाई सरकार स्तर पर की जा रही है। परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई समयबद्ध कार्यक्रम के तहत त्वरित गति से निष्पादित की जानी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भू–अर्जन की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों (Procedures & Provisions) के तहत सरकार स्तर पर भेजे जाने वाले वाले प्रस्ताव का गठन विधिवत एवं जाँच कर नियमों के आलोक में जिला स्तर पर सही–सही किया जाय। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी अतिशय महत्वपूर्ण है कि भू–अर्जन की कार्यवाही के अन्तर्गत अर्जित भूमि का हित–सम्बद्ध रैयतों को निर्धारित समय–सीमा के अंदर मुआवजा राशि (Compensation Amount) का शत–प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

2. राज्यन्तर्गत परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन / अधिग्रहण की कार्रवाई भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (यथा संसोधित–1984), भू–अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम–1960, बिहार भू–अर्जन हस्तक के अन्तर्गत कार्यपालिका अनुदेश तथा एतद् संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत पत्र / परिपत्र एवं नीति में निरूपित प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों के आलोक में लोक प्रयोजन (Public Purpose) के लिए की जाती है। यद्यपि, उपर्युक्त विषय पर सरकार द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत निदेश / आदेश प्रवृत हैं, तथापि विभिन्न श्रोतों से सरकार को अभी भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि राज्यन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन / अधिग्रहण की कार्यवाही में निर्धारित समय–सीमा तथा हित–सम्बद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने की कार्रवाई में विहित प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप, परियोजनाओं के भू–अर्जन कार्यों में सम्यक गतिशीलता तथा मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में शीघ्रता एवं पारदर्शिता का शत–प्रतिशत अनुपालन की स्थिति नहीं बन रही है।

D:\Sonu Kumar-2013\DINESH SIR\Lett\Letter Policy C Ashokvardhan-01-08-2013.doc

3. विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन/अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4/6 के तहत प्रस्ताव जिला स्तर से सरकार स्तर पर स्वीकृति हेतु प्राप्त होते हैं। लेकिन उक्त गठित प्रस्ताव में स्थल–चयन समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न नहीं रहती है। इस विषय पर पूर्व में सरकार का निदेश संसूचित है, जिसके तहत भू–अर्जन के लिए जिला स्तर पर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। लेकिन सरकार के इस निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि अधियाची विभाग/प्राधिकार से भूमि अर्जन/अधिग्रहण हेतु अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत भू–अर्जन का प्रस्ताव गठित करने के पूर्व समाहर्त्ता की अध्यक्षता में स्थल–चयन समिति की बैठक निश्चित रूप से कर ली जाय, ताकि किसी परियोजना का स्थल–चयन का मामला विवादित नहीं हो। स्थल–चयन की कार्रवाई के समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाय कि अनुरेखी परियोजनाओं (Linear Projects) यथा– रेल, सड़क, नहर, तटबंध इत्यादि को छोड़कर शेष अन्य परियोजनाओं हेतु कृषि योग्य बहु–फसली एवं उपजाऊ भूमि (Multi-cropped and Fertile Land) को अर्जन/अधिग्रहण में यथासाध्य सम्मिलित नहीं किया जाय। इसके अतिरिक्त यह प्रयास होना चाहिए की आवश्यकता से अधिक भूमि का अर्जन/अधिग्रहण नहीं हो। भविष्य में जिला स्तर से अधिनियम की धारा–4/6 के तहत सरकार स्तर पर भेजे जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव में समाहर्त्ता की अध्यक्षता में स्थल–चयन समिति की बैठक की कार्यवाही की अभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न की जाय।

4. भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (यथा संशोधित–1984) की धारा–17 में लोक प्रयोजन हेतु आपात प्रक्रिया (Emergency Provisions) के अन्तर्गत सरकार स्तर पर भूमि अर्जन/अधिग्रहण का प्रावधान किया गया है। पूर्व में कतिपय दृष्टांत परिलक्षित हुए हैं कि आपात प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई में भू–अर्जन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों तथा इस विषय पर सरकार द्वारा निर्गत पत्र एवं परिपत्रों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन जिला स्तर पर नहीं किया जाता है। अधियाची विभाग/प्राधिकार से प्राप्त सभी प्रस्ताव, जिसमें कुछ प्रस्ताव सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्रवाई योग्य होते है, उन्हें भी आपात प्रक्रिया के अन्तर्गत भू–अर्जन अधिनियम की धारा–17(1) एवं 17(4) के तहत सरकार स्तर पर स्वीकृति हेतु भेज दिये जाते हैं। ऐसे मामले भी प्रकाश में आये हैं कि जहाँ भू–अर्जन अधिनियम की धारा–17(1) एवं 17(4) के तहत भूमि अर्जन की कार्रवाई के पश्चात् अर्जित भूमि का उपयोग एक लंबे समय तक नहीं किया गया। वस्तुतः यह कृत भू–अर्जन के तहत आपात प्रक्रिया के प्रावधानों के वास्तविक उद्देश्य के विपरीत एवं प्रतिकूल माना जायेगा। ऐसे मामलों में जब हित–सम्बद्ध रैयत न्यायालय की शरण लेते हैं तो सरकार का पक्ष कमजोर हो जाता है। सामान्यतः इन मामलों में न्यायालय के फैसले भी सरकार के पक्ष में नहीं जाते, तब विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के लिए अधियाची विभाग/प्राधिकार से आपात प्रक्रिया के तहत जिला स्तर पर जब प्रस्ताव प्राप्त होते है तो इसके औचित्य की वास्तविक एवं गहन जाँच की जाय तथा यदि समर्पित प्रस्ताव वास्तव में आपात प्रक्रिया के तहत कार्रवाई योग्य पाया जाता है, तो वैसी स्थिति में इसे प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से उनकी स्पष्ट अनुशंसा सहित सरकार स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजी जाय। ऐसे मामलों में सरकार स्तर पर अधिनियम की धारा–4/6 के तहत भेजे जाने वाले प्रस्ताव के अग्रसारण पत्र में समाहर्त्ता